निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण नं - 112/2010 दावा
दायरा दिनांक :- 6.7.2010
निर्णय दिनांक :- 12-10-21

उनवान

1. रामप्रोती पुत्री मथुरालाल जाति मेघवाल निवासी खेराली तह. बारां
2. तुलसाबाई पुत्री मथुरालाल जाति मेघवाल नि. खेराली तह. बारां
3. रामकन्याबाई पुत्री मथुरालाल ~~बनाम~~ जाति मेघवाल नि. खेराली बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88,89,188 RTA

निर्णय दिनांक :- 12-10-21

अभिभाषक उपस्थित :- श्री हेमराज बैरवा - वादी

अभिभाषक वादी गण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 RTA विरुद्ध प्रार्थी वादी गण के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेराली तह. बारां में वादी के पिता मथुरालाल पुत्र नैनका के नाम आराजी ख.नं. 58 रकबा 9.01 बीघा, ख.नं. 60 रकबा 3.10 बीघा, स्थित थी. भू-प्रबन्ध विभाग ने वक्त सेटलमेन्ट ख.नं. 58 रकबा 9.01 बीघा का नया ख.नं. 120 रकबा 1.34 हे. तथा ख.नं. 60 रकबा 3.10 बीघा का नया ख.नं. 121/1246 रकबा 0.41 हे. दर्ज किया है उक्त आराजीयात वादी गण के पिता मथुरालाल पुत्र नैनका जाति मेघवाल नि. खेराली के नाम दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात वादी गण के नाम दर्ज कर दी गई। भू-प्रबंध विभाग द्वारा आराजी ख.नं. 58 रकबा 9.01 बीघा, के स्थान पर 1.45 हे. दर्ज करनी चाहिये थी जो 0.11 हे. कम दर्ज की गई है। तथा ख.नं. 60 रकबा 3.10 बीघा के स्थान पर 0.56 हे. दर्ज करना चाहिये था जो 0.15 हे. कम दर्ज कर दी गई। वादी गण द्वारा ख.नं. 58 रकबा 9.01 बीघा, ख.नं. 120 रकबा 1.34 हे. के स्थान पर 1.45 हे. तथा ख.नं. 60 रकबा 3.10 बीघा के [illegible] ख.नं. 121/1246 रकबा 0.41 हे. के स्थान पर 0.56 हे. [illegible] जाति मेघवाल है जो अनुसूचित जाति की [illegible] लगातार-2 [illegible] वादीगण

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की जावें मेघवाल के स्थान पर रैगरवंशी दर्ज कर दी गई है। इसको भी वादीगण दुरुस्त करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस तामील तलब किया गया। प्रतिवादी सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी सरकार ने अपने जवाब में बताया कि वादीगण द्वारा ख.नं. 121/1246 का रकबा ख.नं. 120 रकबा 1.34 हे. के बजाय 1.45 हे., ख.नं. [illegible] रकबा 1.56 किया जाना अंकित किया गया है व वादी का वाद [illegible] की जमाबंदी खतौनी व नक्शा पेश नहीं किया है वादी [illegible] अंकित नहीं है [illegible] किया जावे कि एक नम्बर का विवाद है [illegible] को दरकार बताया रकबा किसके नाम है का अंकन किया जाकर [illegible] वाद चलने योग्य नहीं है जाति आदि पत्र को नहीं बताने के कारण [illegible] गया है राजस्व रिकार्ड - वाद पत्र अस्पष्ट एवं अपूर्ण प्रस्तुत किया गया है [illegible] पेश नहीं किया है, जमाबंदी खतौनी नक्शा व पूर्ण [illegible] पेश नहीं किया गया। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। वादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम खैराली संवत 2033-36 खाता 2033-36 खाता सं. 44, नकल जमाबंदी ग्राम खैराली संवत 2038-57, नकल जमाबंदी खा. 44 पेश की गयी नकल [illegible] संवत [illegible] पेश की गयी तथा वादी ने PW1 ग्राम खैराली संवत 2061-64 खाता नं. 308 पेश की गयी तथा वादी ने PW1 [illegible], PW2 [illegible], PW3 [illegible] के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील [illegible] द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विवादित आराजी वादी के पिता मथुरालाल के ग्राम खैराली तह. बारां में स्थित है जो वादी [illegible] उक्त आराजी को सेटलमेन्ट विभाग खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त आराजी को सेटलमेन्ट करते समय ख.नं. 58 रकबा 9.01 बीघा के नये नम्बर [illegible] 120 रकबा 1.45 हे. के स्थान पर 1.34 हे. दर्ज कर दिया गया है [illegible] कम कर दी गई इसी प्रकार ख.नं. 60 रकबा 3.10 बीघा के स्थान पर 0.56 हे. दर्ज करनी चाहिये थी जो 0.15 हे. कम दर्ज कर दी गई एवं जाति मेघवाल के स्थान पर रैगरवंशी दर्ज कर दी गई है जिसे वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। विवादित आराजी में वादीगण की [illegible] सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो कम की गई है उस त्रुटि को बाबत दुरुस्त किया जावे। वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खैराली संवत 2033-36 [illegible] अनुसार मथुरालाल पुत्र [illegible] का नाम खाता दर्ज रिकार्ड [illegible] नकल जमाबंदी ग्राम खैराली [illegible] खाता नं. 44 के अनुसार [illegible]

लगातार-3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

इन्द्राज कोर्ट ग्राहम का नाम दर्ज है जमाबंदी के कालम नं. 13 व 17 में नाम. नं. 394 दिनांक 30.1.79 है ख.नं. 60 रकबा 3.10 बीघा भूमि मथुरालाल पुत्र नेगा जाति मेघवंशी नि. बोराली के खाते मे दर्ज करने का कोई आदेश नकल जमाबंदी ग्राम बोराली सम्वत 2061-64 के अनुसार वादी गण के काश्तकारी मे दर्ज होना पाया जाता है नकल गिरदावरी सम्वत 2038-57 के हाल खसरा नम्बरान का रकबा अंकित है परन्तु मालिक ख.नं. का रकबा किस है कहीं अंकित नहीं है इससे यह जाहिर होता है कि विवादित आराजी पूर्व के वादी गण के नाम खातेदारी मे दर्ज थी सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट करते समय वादी की भूमि का कम की गयी वादी द्वारा विभाग सेटलमेंट पेश किया है परन्तु सेटलमेंट के विभाग रेकार्ड मे कहीं भी मालिक ख.नं. का रकबा अंकित नहीं है और वादी द्वारा यह भी कहीं अंकित नहीं किया गया कि किस की भूमि है कितनी भूमि लेनी है व उसको भी पक्षकार वादी गण द्वारा नहीं बनाया है वादी को सेटलमेंट की ~~दुरुस्ती के~~ गलती को दुरुस्ती कराने के लिए धारा 136 LR act के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था जो वादी द्वारा नहीं किया है क्योंकि सेटलमेंट की गलती को दुरुस्त कराने के लिए धारा 136 LR act के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था वादी द्वारा वाद पत्र 88, 89, 188 RTA के तहत प्रस्तुत किया है वादी गण द्वारा पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किये है वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है

## क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी गण का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर तहरीर इजलास उद्घोषित किया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

# डिक्री

| | | |
|---|---|---|
| ा 112/2010 | धारा अंतर्गत 88, 89, 188 RTA | निर्णय दिनांक 12-10-21 |
| श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस उपखण्ड अधिकारी बारां | | |
| स्थिति - अभिभाषक वादी श्री हेमराज बैरवा | | अभिभाषक प्रतिवादी |

## वाद शीर्षक

1. रामभरोसी पुत्री मथुरालाल जाति मेघवाल नि. खेराली तह. बारां
2. तुलसाबाई पुत्री मथुरालाल जाति मेघवाल नि. खेराली तह. बारां
3. रामकन्याबाई पुत्री मथुरालाल जाति मेघवाल नि. खेराली तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .......... रू0 का व्ययानुतोष .......... द्वारा .......... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12-10-21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

### व्ययानुतोष

| क्र.सं. | व्यय मद | वादी | प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1 | वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 2 | अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 3 | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 4 | प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) | | |
| 5 | पारिश्रमिक अभिभाषक | | |
| 6 | व्यय साक्षी | | |
| 7 | फीस कमिश्नर | | |
| 8 | अन्य/क्षतिपूर्ति | | |
| 9 | ब्याज (            %) | | |
| | योग | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner